प्र.स. 39 / 2024

तारीख हुक्म	अनवान जगमीत सिह वगैरा बनाम जंगीर सिह वगैरा हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
25.11.2024	पत्रावली आज पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित स्वंय हाजिर आये व अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत राजीनामा प्रस्तुत कर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने भूमि का निम्नानुसार फेरबदल अर्थात विनिमय कर लिया है। मुताबिक राजनीमा प्रार्थीगण को चक 1 केएसडी प.न. 168 / 110 के मु.न. 17 के किला नं. 16 / 1 में दक्षिण दिशा में किला नं. 25 से चिपता पूर्व से पश्चिम लम्बा 0. 025 है. कृषि को दी है जिसके बदले में प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को प.न. 168 / 110 मु.न. 17 के किला नं. 17 के उतर दिशा में 0.038 हैक्टयर व साथ चिपते किला नं. 18 पूर्व दिशा में 0.013 हैक्टयर यानि 680.6 वर्गफीट भूमि दी है। मुताबिक राजीनामा उक्त भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हिस्सा में आ चुकी है अब हम दोनो पक्षकारान को रास्ता खाला की कोई असुविधा नही रहेगी। हम पक्षकारों का राजीनामा स्वीकार किया जाकर मुताबिक राजीनामा राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज करवाने का निवेदन किया। बहस सुनी गई। पत्रावली में प्रस्तुत राजीनामा से प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मध्य अपनी जमीनो को इकठा करने के उद्श्य से तबादलानामा किया जाना प्रकट होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 49 में यह प्रावधान है कि कोई खातेदार अभिधारी किसी ऐसे क्षेत्र का जिसे वह जोतता है, समेकन करना चाहे तो किसी अन्य खातेदार अभिधारी से जोड़ी जाने वाली भूमि का विनिमय कर सकेगा। प्रकरण हाजा में तबादला के अधीन आराजी की किस्म एक समान नहरी है विनिमय होने वाली आराजी की डीएलसी दर भिन्न होने की स्थिति में यदि कोई अन्तर राशि वसूली योग्य है तो पक्षकारान उसका भुगतान करेगें। अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) आरटीए खारीज किया जाता है एवं प्रार्थीगण को चक 1 केएसडी प.न. 168 / 110 के मु.न. 17 के किला नं. 16 / 1 में दक्षिण दिशा में किला नं. 25 से चिपता पूर्व से पश्चिम लम्बा 0. 025 है. कृषि को दी है जिसके बदले में प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को प.न. 168 / 110 मु.न. 17 के किला नं. 17 के उतर दिशा में 0.038 हैक्टयर व साथ चिपते किला नं. 18 पूर्व दिशा में 0.013 हैक्टयर यानि 680.6 वर्गफीट भूमि दी है इसलिए प्रार्थीगण एवं अप्राथी संख्या 1 व 2 को उक्तानुसार आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। तथा नियमानुसार अन्तर राशि यदि कोई बनती है तो जमा करवाने के पश्चात ही प्रश्नगत भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण / अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम अंकन किया जा उक्तानुसार भूमि का अंकन राजस्व रिकार्ड में तहसीलदार आगरिया को दर्ज करने हेतु पालनार्थ लिखा जावें। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 मध्य हुआ राजीनामा निर्णय के अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो। (जय कौशिक) उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not V
Digitally signed by J
Date: 2024.12.05 16
Reason: SelfAttest